सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A Constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

फा. सं.: **NCST/DEV-943/UP/2/2022-ESDW** दिनांक: **20.06.2023**

श्री दुर्गा शंकर मिश्रा,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन,
101, 'बी' ब्लॉक, लोक भवन,
लखनऊ-226001,
उत्तर प्रदेश
ई-मेल: csup@nic.in

विषय: **गोंडिया समुदाय के लिए जाति प्रमाण पत्र जारी करने व गोंड समुदाय की उप-जाति के रूप में मानने के सम्बन्ध में - श्री श्रीपाल गोंड, महासचिव, भारतीय गोंड कल्याण/आदिवासी (विकास संस्थान), प्रधान कार्यालय, ग्राम - अलीपुर, पोस्ट - श्री राम वन कुटीर, बाराबंकी, उत्तर प्रदेश का दिनांक 04.02.2022 का अभ्यावेदन ।**

महोदय,

उपरोक्त विषय पर श्री श्रीपाल गोंड, महासचिव, भारतीय गोंड कल्याण, प्रधान कार्यालय, ग्राम - अलीपुर, पोस्ट - श्री राम वन कुटीर, बाराबंकी, उत्तर प्रदेश से दिनांक 20.03.2023 एवं 28.04.2023 के अनुवर्ती अभ्यावेदन आयोग को प्राप्त हुआ है, जिसकी छायाप्रति संलग्न कर आपको भेजने का निर्देश हुआ है।

2. आपसे अनुरोध किया जाता है की अनुवर्ती परिवाद में उठाए गए बिन्दुओं पर आवश्यक कार्रवाई की जाए और की गयी कार्रवाई की तथ्यात्मक रिपोर्ट आयोग को इस पत्र प्राप्ति के 07 दिनों की अवधि के भीतर अवश्य भिजवाने की व्यवस्था करें ताकि अग्रिम कार्रवाई हेतु मामलें को आयोग के समक्ष रखा जा सके।

कृपया ध्यान रखें कि यदि नियत अवधि में आयोग में आपका उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत उसे प्रदत्त सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग कर सकता है तथा वैयक्तिक रूप से या प्रतिनिधि के माध्यम से आयोग के समक्ष उपस्थित होने के लिए आपको 'समन' भी जारी कर सकता है ।

संलग्न यथोपरि.

(एच. आर. मीना)
अनुसंधान अधिकारी

प्रतिलिपि संलग्न:

1. **श्री श्रीपाल गोंड,**
महासचिव,
भारतीय गोंड कल्याण/आदिवासी (विकास संस्थान),
प्रधान कार्यालय, ग्राम - अलीपुर,
पोस्ट - श्री राम वन कुटीर, बाराबंकी,
उत्तर प्रदेश

2. एन. आई. सी. अनुभाग, आयोग की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु ।